भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3671
उत्तर देने की तारीखः 17.12.2024

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद

3671. श्री के. राधाकृष्णनः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014 से अब तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रिक्त पदों की संख्या का ब्यौरा क्या है और उन्हें भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सभी छात्रवृत्तियां संवितरित कर दी गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो लंबित संवितरण का ब्यौरा क्या है; और
(घ) यह संवितरण कब तक कर दिया जाएगा?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 18,940 स्वीकृत शिक्षण पद तथा 3,5640 स्वीकृत गैर-शिक्षण पद हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार शिक्षण तथा गैर-शिक्षण पदों के लिए से रिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित रिक्त सीटों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल
रिक्ति	2207	1479	3440	7126

जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा सूचित किया गया है, वर्ष 2014 से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या के संबंध में यूजीसी द्वारा आंकड़े नहीं रखे गए हैं।

(ख) से (घ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

अनुसूचित जातियों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाएँ

i. भारत में अध्ययन हेतु अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
ii. अनुसूचित जातियों एवं अन्य के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना।

दोनों योजनाएं ओपन एंडेड हैं तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर अंतिम रूप से सत्यापित राज्य अंश भुगतान संबंधी उपलब्ध कराए गए आंकड़े प्राप्त करने के बाद पात्र अनुसूचित जाति लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का केंद्रीय हिस्सा जारी किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए केंद्रीय अंश का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

अनुसूचित जातियों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं:

(i) अनुसूचित जाति आदि उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति
(ii) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप;
(iii) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए टॉप क्लास शिक्षा; तथा
(iv) एससी और ओबीसी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक इन योजनाओं के अंतर्गत जारी धनराशि **अनुबंध-II** में दी गई है।

ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए योजनाएं:

i. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति;
ii. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेजों में टॉप क्लास शिक्षा; तथा
iii. ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत जारी धनराशि **अनुबंध-III** में दी गई है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

(i) एसटी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति,
(ii) एसटी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
(iii) एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति;
(iv) एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप;
(v) एसटी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति;

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक इन योजनाओं के अंतर्गत जारी धनराशि **अनुबंध-IV** में दी गई है।

दिनांक 17.12.2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3671 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-I

(रूपये करोड़ में)

क्र.सं.	योजना	2021-22	2022-23	2023-24
1.	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	1930.38	4388.32	5475.42
2.	अनुसूचित जातियों एवं अन्य के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	570.18	207.93	446.64

अनुबंध-II

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	योजना	2021-22	2022-23	2023-24
1.	अनुसूचित जाति आदि उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	49.07	86.59	88.56
2.	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	127.85	134.07	199.82
3.	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए टॉप क्लास शिक्षा	84.72	85.67	83.84
4.	एससी और ओबीसी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना	14.98	18.41	7.76

अनुबंध-III

क्र.सं.	योजना	2023-24 के दौरान जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)
1.	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	988.06
2.	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेजों में टॉप क्लास शिक्षा	111.17
3.	ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	89.70

अनुबंध-IV

वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक जारी निधियों का विवरण (30.11.2024 तक) (करोड़ रुपए में)					
क्र.सं.	**योजना**	**वित वर्ष**			
		2021-22	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1.	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	394.14	357.30	308.60	9.68
2.	एसटी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2256.81	1964.65	2668.68	1832.46
3.	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	35.17	34.48	70.44	76.58
4.	अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	84.83	110.52	159.56	88.29
5.	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	4.95	4.00	7.00	3.95

*****